न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
110/2022
पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)

तारीख फैसला
20.12.22

उनवान

1– ललतेश उर्फ ललित कुमार, बालिग पुत्र स्व0 लटूरलाल जी जाति बैरवा निवासी नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नीमोदा भू. अभिलेख निरीक्षक नीमोदा तहसील दीगोद में खाता नं0 254 में खसरा नम्बर 109 की रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 की रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92/1870 की रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 942 की रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 की रकबा 0.28 हेक्टर, कुल 7 किता की 3.67 हेक्टर भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम 1/18 हिस्से पर ललतेश पुत्र लटूरलाल नाबालिग संरक्षक सरपरस्त चन्द्रकला दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमियां वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते की भूमि है। उक्त भूमि में पूर्व में वादी के पिता लटूरलाल जी का हिस्सा था उनकी मृत्यु के बाद वादी व अन्य वारिसान को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व रिकार्ड में वादी का बोलता नाम ललतेश दर्ज कर दिया है जो गलत है जब कि वादी का नाम ललित कुमार है।

यह कि वादी का वास्तविक नाम ललित कुमार है तथा घर का बोलता नाम ललतेश है इसी कारण रिकार्ड में सहवन से वादी का बोलता नाम दर्ज हो गया। वादी के आधार कार्ड, व स्कूल के रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम ललित कुमार दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ललतेश गलत दर्ज होने के कारण वादी को

H.Singh
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज0)

काफी परेशानी आती है। इस कारण उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ललतेश के स्थान पर ललित कमार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी बालिग हो चुका है इस कारण राजस्व रिकार्ड में नाबालिग संरक्षक सरपरस्त चन्द्रकला शब्द को डिलिट किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे किः—

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम नीमोदा भू. अभिलेख निरीक्षक नीमोदा तहसील दीगोद में खाता नं0 254 में खसरा नम्बर 109 की रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 की रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92/1870 की रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 942 की रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 की रकबा 0.28 हेक्टर, कुल 7 किता की 3.67 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ललतेश के स्थान पर ललित कुमार दर्ज किये जाने व नाबालिग संरक्षक सरपरस्त चन्द्रकला शब्द को डिलीट किये जाने का आदेश दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में ललतेश एवं ललित कुमार एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमोदा भू. अभिलेख निरीक्षक नीमोदा तहसील दीगोद में खाता नं0 254 में खसरा नम्बर 109 की रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 की रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 92/1870 की रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 942 की रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 943 की रकबा 0.28 हेक्टर, कुल 7 किता की 3.67 हेक्टर भूमि में वादी का नाम नाबालिग ललतेश पुत्र लटूरलाल सरंक्षक सरपरस्त चन्द्रकला के स्थान पर ललित कुमार पुत्र लटूरलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को 20.12.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद